

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

**कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर**

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

email: [ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in); Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( ) मुवसं/तकनिकी/वसु/2022-23/ 5991

दिनांक :- 22/8/2022

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
फोरेस्ट प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए),  
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power project (MBRAPP) – 1 to 4. (online proposal No. Fp/RJ/Others/22621/2016).

संदर्भ :-भारत सरकार के EDS दिनांक 10 जून, 2022 के क्रम में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित EDS से भारत सरकार द्वारा आलौच्य प्रकरण में बिन्दुवार प्रत्युत्तर चाहा गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा उनके पत्रांक एफ प.14() एफसीए./2021/4355 दिनांक 19.07.2022 एवं 4531 दिनांक 04.08.2022 से बिन्दुवार प्रत्युत्तर तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उप वन संरक्षक, बांसवाडा से प्राप्त प्रत्युत्तर इस कार्यालय की सहमति के साथ निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र. सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	In the proposed forest diversion area, the presence of Agricultural land, few Settlements/built up area, plantation activities carried out in the past are visible. Moreover, the Regional Chief Conservator of Forests, Udaipur reported that plantations were done and 9725 trees exist. This needs carried out in the past 10 yrs in the proposed diverted area.	उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर पिछले 10 वर्षों में कोई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नहीं कराया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है। (अण्डरटेकिंग संलग्न)
2	It is observed through DSS analysis that the part area of 1.01 ha. forest land within the 'Sarwan Deri B' forest block has not been included in the instant diversion proposal. Therefore, clarification in this regard may given.	उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा अवगत कराया गया है कि सरवन डेरी पार्ट -बी वनखण्ड की प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वनभूमि में से 1.01 हैक्टर वन भूमि को प्रपोजल में इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि यह भूमि चक काश्त होने से खातेदारी भूमि है जो नोटिफाईड फॉरेस्ट ब्लॉक के बीच में आती है। उक्त भूमि ग्राम सजवानिया की है जिसका खसरा नम्बर 888 है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार NPCIL के नाम दर्ज है, जिसका नक्शा संलग्न है।
3	The KML file of Non-forest land i.e. 502.67 ha. involved in the instant project has not been uploaded on PARIVESH portal.	निर्देशानुसार के.एम.एल.फाईल को यूजर एजेंसी द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यूजर एजेंसी द्वारा अपलोड की गई Kml राजस्व नक्शे और वन विभाग की ब्लॉक फाईल के नक्शे पर आधारित है। वन विभाग की आईटी विंग द्वारा Forest website पर

	The same may be uploaded.	Kml जी.टी. शीट पर आधारित है, जो वन विभाग की ब्लॉक फाईल के नक्शों की सर्वे से बनी kml के साथ मेल नहीं खा रही है। Forest website पर kml को ठीक करने के लिए उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा उनके उनके पत्रांक 4523 दिनांक 04.8.2022 (प्रति संलग्न) से उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्राद्यौगिकी, राजस्थान, जयपुर को पत्र लिखा गया है। इसे सही कराया जा रहा है।(प्रति संलग्न)
4	DSS analysis revealed that both the patches identified for CA in the degraded forest land (DFL) are having plantation activities and per-plantation operations like benching and contouring which were carried out in the past. This needs clarification.	उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा अवगत कराया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ली गई परिभ्रांषित वनभूमि दो रेंजों में है जिसमें से घाटोल रेंज में वनखण्ड जगमेर जोगीमाल में DFL हेतु प्रस्तावित 200.10 हैक्टर वनभूमि मकें पूर्व में वर्ष 1991-92 में विभागीय कार्य करवाये गये थे एवं इसी प्रकार बांसवाडा रेंज में वनखण्ड बावादेव खजूरी में DFL हेतु प्रस्तावित 86.00 हैक्टर वनभूमि में पूर्व में कोई विभागीय कार्य नहीं करवाये गए।
5	It is noticed that this is a non-site specific proposal. Therefore, three alternative sites should have been explored which is not done in this case. Therefore, the State Govt. may submit convincing justification for locating the project in the forest area without exploring other non-forest areas for this proposal.	उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया है कि इस प्रस्ताव हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं होने के संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में लिये निर्णय अनुसार जिला कलक्टर, बांसवाडा के द्वारा प्रमाण पत्र (संलग्न) जारी किया गया है। जिससे वनमण्डल बांसवाडा द्वारा अपनी सहमति से भिजवाया गया है।
6	It is not clear whether R&R Plan has been approved by competent authority. The same may be clarified.	उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर औचित्यपूर्ण एवं सही है। साथ ही यूजर एजेंसी द्वारा प्रेषित पत्रांक 158 दिनांक 30.6.2022 की प्रति भी संलग्न है।

प्रकरण में उपरोक्तानुसार आक्षेप पूर्ति कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,




(आर.के.जैन)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

दिनांक :-

क्रमांक एफ 5 ( ) मुवसं/वसु/2022-23/

उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उनके पत्रांक 4355 दिनांक 19.7.2022 एवं 4531 दिनांक 04.8.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।



संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।